Government of Haryana/हरियाणा सरकार

Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

ईट भटठों में विकसित उत्सर्जन तकनीक, Zig Zag या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित/वैटिड/अन्य कोई उच्च तकनीक लगवाने बारे नीति।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

आदेश

माननीय National Green Tribunal (NGT) के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने पत्र क्रमांक 2308 दिनांक 25.11.2016 द्वारा दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पडने वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को दिशानिर्देश जारी किये जिसका संबंधित भाग निम्न प्रकार से है:-

"WHEREAS, concerned State Pollution Control Boards are required to enforce and ensure compliance of emission standards/guidelines by the industrial units and take action against the industrial units failed to comply under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;

WHEREAS, CPCB has already issued directions on December 30, 2015 to SPCBs/PCCs having districts in **Delhi-NCR region (Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan)** to enforce strict compliance of conversion of Natural Draft brick kilns to induced Draft Brick Kilns within 90 days.

WHEREAS, the **Hon'ble Supreme Court, Hon'ble Delhi High Court and Hon'ble National Green Tribunal** are monitoring the issue of ambient air quality in Delhi-NCR region and have expressed concern over the rising pollution levels; and have issued several directions for improving enforcement:

NOW THEREFORE, in view of the above and in order to improve the air quality in Delhi-NCR region, the Chairman, CPCB in exercise of the powers vested under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 issues the following directions to SPCBs for compliance in the Delhi-NCR region:

1- **All the brick kilns operating without permission and valid consent from SPCBs, not meeting prescribed norms and siting guidelines and not converted from natural draft to induced draft brick kilns (with rectangular kiln shape and zig zag setting), be closed down till March 31, 2017)**

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपरोक्त दिशानिर्देशों की पालना के मध्यनजर अपने पत्र दिनांक 06.02.2017, 17.02.2017 तथा 20.03.2017 द्वारा अन्य संबंधित विभागों के साथ-साथ खाद्य एवं पूर्ति विभाग को निम्न निर्देश दिये:-

"According the MoEf & CC has issued notification on 12.01.2017 entrusting the implementation of Graded Response Action Plan to the EPCA. EPCA has already convened two meetings on 20.01.2017 and 03.02.2017 wherein the matter regarding pollution caused by the Brick Kilns was discussed and it has been **decided that the brick kiln should install improved emission technology either zig zag or any other technology approved by the State Pollution Control Board during the next winter season"**

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal [NGT]) द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों/आदेशों के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 के तहत दिये गये दिशानिर्देशों को मानना तथा उनकी पालना करना राज्य सरकार के लिये अनिवार्य है।

मैसर्ज ईश्वर ब्रिक्स, यमुनानगर के केस में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर सिविल याचिका क्रमांक 12838 आफ 2006 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2012 के दृष्टिगत आबादी के 500 मीटर के दायरे में भटठों को बंद करने बारे विभाग द्वारा एक नीति पत्र क्रमांक 2बी0के0-7/9/2012/20030-33 दिनांक 05.07.2013 को जारी की थी।

हरियाणा भटठा आनॅर ऐशोसिएशन ने उक्त नीति का सख्त विरोध मुख्यत: निम्न कारणो से किया:-

1. उक्त नीति दिनांक 05.07.2013 बनाने से पूर्व भटठा ऑनर ऐशोसिएशन से न तो कोई विचार विमर्श किया गया, यहां तक की इसे लागू करने से पूर्व उनका पक्ष तक भी नहीं लिया गया।
2. एक साथ भारी संख्या में भटठे बंद करने से भटठा मालिकों तथा उसमें कार्यरत मजदूरों का रोजगार समाप्त होगा व इससे कई परिवार सडक पर आ जायेंगे।
3. उक्त नीति लागू करने के कारण भटठे बंद होने पर ईटों जोकि निर्माण कार्य में मूलभूत सामग्री है, की पूर्ति में कमी होने की पूरी संभावना रहेगी तथा ईटों की कीमतों में भी भारी बढोतरी होने की पूरी संभावना है जिसका बोझ आमजन पर पडेगा।
4. ईट जैसे मूलभूत सामग्री की पूर्ति में कमी होने के कारण निर्माण संबंधी उद्योग/व्यवसाय तथा विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की पूरी संभावना है।

हरियाणा भटठा आनॅर ऐशोसिएशन ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया कि भटठों को बगैर बंद किये ही Zig Zag तकनीक से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने ऐशोसिएशन के प्रतिवेदन तथा सुझाव में बल पाते हुये Zig Zag तकनीक की प्रदूषण नियंत्रण करने की क्षमता तथा प्रभाव(Capacity and Effectiveness) को जांचने हेतु राज्य सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन करवाने का निर्णय लिया व इस निर्णय अनुसार यह कार्य Pollution Control Research Institute(PCRI), Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL), Ranipur, Haridwar, Uttrakhand को दिया गया। PCRI, BHEL, Uttrakhand से प्राप्त अध्ययन रिपोर्ट दिनांक 05.09.2016 का मुख्य निष्कर्ष निम्न है:-

भटठों को Zig Zag तकनीक से चलाने पर आसपास के वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बहुत नाममात्र(Insignificant) रह जाती है जोकि National Ambient Air Quality Standard अधिसूचना 2009 में निर्धारित मानकों से बहुत कम है।

- 2/4

उपरोक्त स्थिति तथा हरियाणा राज्य में बढ रहे गंभीर स्तर के प्रदूषण से जनसाधारण के स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव व केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की भटठों के बारे नीति दिनांक 05.07.2013 में संशोधन(Modification) करके निम्न प्रावधान किया जाता है:-

1. संशोधन राज्य के सभी भटठों पर लागू होंगे। आबादी से 500 मीटर के दायरे के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

2. राज्य में सभी ईट भटठे Zig Zag तकनीक या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उच्च तकनीक लगवाने के उपरांत ही आगामी शीतकालीन सत्र 2017 या इस संदर्भ में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो भी समयसीमा/दिशानिर्देश दिये जायेगें, के अनुसार चल सकेंगे।

3. ईट भटठा मालिक Zig Zag तकनीक या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित तकनीक लगवाने उपरांत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भटठा चलाने के लिये जारी सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (Consent to Operate/ No objection certificate) प्रस्तुत करने के बाद ही ईट भटठों के लाईसैंस आगामी वर्षो के लिये नवीकरण किये जायेंगे।

4. पुरानी तकनीक के भटठों में नयी तकनीक लगवाने का पूर्ण खर्चा भटठा मालिक/चालक स्वयं वहन करेगा।

5. भटठा मालिक को भारत सरकार/हरियाणा सरकार व संबंधित विभागों/प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों व मानकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

6. भविष्य में ईट भटठे के नये लाईसैंसों के केसों में भी आवेदकों/भटठा मालिको को Zig Zag या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उच्च तकनीक लगवानी आवश्यक होगी।

राज्य के सभी जिलाधीशों(ईट भटठा लाईसैंसिंग अथोर्टी) तथा जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रकों को निर्देश दिये जाते है कि सरकार के उपरोक्त नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

एस0एस0प्रसाद,

दिनांक, चण्डीगढ :- 28-7-2017 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक-2बी.के.5/125/2015/15387 दिनांक: 28.07.2017

उपरोक्त की एक प्रति राज्य के सभी जिलाधीशों(ईट भटठा लाईसैंसिंग अथोर्टी) तथा जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रकों को विभाग/सरकार द्वारा जारी नीति/पत्र क्रमांक 2बी0के0-7/9/2012/20030-33 दिनांक-

- 3/4

Government of Haryana/हरियाणा सरकार

Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

-4-

05.07.2013 तथा पत्र क्रमांक 2बी0के0-5/100/2014/17091-95 दिनांक 18.06.2014 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भेजी जाती है।

संयुक्त निदेशक (ब्रिक किलन),
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक-2बी.के.5/125/2015/15388 दिनांक: 28.07.2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को विभाग/सरकार द्वारा जारी नीति/पत्र क्रमांक 2बी0के0-7/9/2012/20030-33 दिनांक 05.07.2013 तथा पत्र क्रमांक 2बी0के0-5/100/2014/17093-97 दिनांक 18.06.2014 तथा National Green Tribunal(NGT) निर्णय दिनांक 10.11.2016 तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने पत्र क्रमांक 2308 दिनांक 25.11.2016 व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रों क्रमांक क्रमश: HSPCB/Sc-C/2017/3457, 3661, 4016 दिनांक 06.02.2017, 17.02.2017 तथा 20.03.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा तदानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महाधिवक्ता, हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ।
2. चैयरमेन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सैक्टर-6, पंचकुला।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, छठी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, हरियाणा, चण्डीगढ
4. आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग, वाणिज्य भवन, प्लाट 1-3/5, पंचकूला।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, कमरा न0 529, पांचवी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
6. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग।
7. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, 30 बेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
8. पी0सी0सी0एफ0, वन विभाग, सी-11, वन भवन/6, पंचकूला।
9. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकूला।
10. महानिदेशक, बागवानी विभाग, सेरीकल्चर काम्पलैक्स, सैक्टर-21, पंचकूला।
11. राज्य के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।
12. श्री लाल सिंह, प्रधान हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन आनॅर ऐशोसिएशन, मकान नं0 145, सैक्टर-14, सोनीपत।
13. राज्य के सभी जिला भटठा ऑनर ऐशोसिएशन को जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रकों के माध्यम से।

संयुक्त निदेशक (ब्रिक किलन),
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

- 4/4

Meeting dt 10-08-2015